

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या: 21 / बजट / 29(5) / 30 / 13 / 2020-21

दिनांक: 20 मई, 2020

कृपया उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या 6 / 2020 / बी-1-218 / दस-2020-231 / 2020 दिनांक 15 मई, 2020 की संलग्न प्रति निम्न अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें:-

1. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
2. समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
3. संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेड़ा-लखनऊ / बाबूगढ़-हापुड़ / निबलेट-बाराबंकी।
4. परियोजना निदेशक, वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़, चन्दौली।
5. प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बक्सी का तालाब, लखनऊ।
6. प्रायोजनाधिकारी, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, लखीमपुर-खीरी / रायबरेली / आजमगढ़ / मुजफ्फरनगर / गोरखपुर / उरई-जालौन।
7. मुख्य तकनीकी अधिकारी, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र बरेली / पीलीभीत।
8. संयुक्त निदेशक, एनीमल, न्यूट्रीनिष्ट, बादशाहबाग, लखनऊ।
9. मुख्या तकनीकी अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र, महानगर, लखनऊ।
10. मुख्य तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट प्रशिक्षण), महानगर, लखनऊ / झांसी।
11. उप निदेशक, पी०टी०एस०, पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, निबलेट-बाराबंकी।
12. अनुसंधान अधिकारी, (कुक्कुट), बाबूगढ़, हापुड़।
13. प्रायोजना अधिकारी, सघन भेड़ एवं ऊन वर्गीकरण, मिर्जापुर।
14. मुख्य तकनीकी अधिकारी, ऊन वर्गीकरण एवं डिस्पोजल, मिर्जापुर।
15. मुख्य तकनीकी अधिकारी, (भेड़ एवं ऊन विकास) प्रयागराज / वाराणसी / मिर्जापुर।
16. संयुक्त निदेशक, भदावरी, भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा।
17. वेटनरीपैथालोजिस्ट / गायनोक्लोजिस्ट, गोरखपुर / अयोध्या / लखनऊ / बरेली / मेरठ / आगरा / झांसी / मुरादाबाद / वाराणसी / प्रयागराज / कानपुर नगर।
18. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
19. उप निदेशक, जैविक औषधि उत्पादन संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ।
20. सचिव, राजस्व परिषद, अनुभाग-7, उ०प्र० लखनऊ।
21. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
22. प्रक्षेत्र प्रबन्धक / प्रक्षेत्र अधीक्षक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, अराजीलाइन्स-वाराणसी / सैदपुर-ललितपुर / बाबूगढ़-हापुड़ / हस्तिनापुर-मेरठ / भरारी- झांसी / आटा-जालौन / निबलेट-बाराबंकी / नीलगांव-सीतापुर / मंझरा-खीरी / चकगंजरिया, लखनऊ स्थित निबलेट-बाराबंकी।
23. समस्त योजना अधिकारी, प्रधान कार्यालय।
24. निदेशक प्रशासन एवं विकास / रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र के वैयक्तिक सहायक।

(महेन्द्र कुमार भट्ट)

वित्त नियन्त्रक।

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 18 मई, 2020

विषय: कोविड-19 के कारण प्रदेश में लाकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थिति में व्यय प्रबंधन एवं मितव्ययिता के लिए दिशानिर्देश।

महोदय,

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। लॉकडाउन घोषित होने से राज्य सरकार के राजस्व में अप्रत्याशित कमी आयी है। कोविड-19 महामारी के रोकथाम तथा जनहित के अन्य कार्यों हेतु संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इस स्थिति में संसाधनों के समुचित उपयोग तथा कैश प्रबंधन हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये निम्न निर्णय लिये गये हैं-

1. राज्य में कई केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें (Centrally Sponsored Schemes) संचालित हैं जिनका सीधा लाभ प्रदेश की आम जनता को प्राप्त हो रहा है। इन योजनाओं में केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होते ही विभाग को उपलब्ध करा दी जाती है। वर्तमान विशेष परिस्थितियों में प्रदेश में राजस्व की प्राप्ति अपेक्षा से बहुत कम हो रही है। अतः प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।
2. प्रदेश के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक राज्य पोषित योजनायें चलायी जा रही हैं। वर्तमान विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सभी विभागों द्वारा ऐसी योजनाओं की समीक्षा कर ली जाय तथा उन्हीं योजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित किया जाय, जो अपरिहार्य प्रतीत होती हैं। ऐसी योजनायें जो अपरिहार्य एवं आवश्यक न हों, उन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्थगित किये जाने पर विचार कर लिया जाय।
3. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में अनेक ऐसे निर्माण कार्य किये जा रहे हैं जिन्हें पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि की आवश्यकता है। अतः बजट में उपलब्ध धनराशि का उपयोग ऐसे निर्माण कार्यों में ही किया जाय, जो प्रारम्भ किये जा चुके हैं। सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुये, केवल ऐसे नये निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जायें जो अपरिहार्य एवं अत्यन्त आवश्यक हों।
4. विभागीय कार्य-प्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आदि कारणों से अनेक पद वर्तमान परिवेश में अप्रासंगिक हो गये हैं जिन्हें विभागों द्वारा चिन्हित कर समाप्त करने की कार्यवाही की जाय। इन समाप्त किये जाने वाले पदों पर यदि कोई कर्मचारी कार्यरत है तो उसे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाय। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों द्वारा नये पदों का सृजन नहीं किया जायेगा।

5. विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष, सदस्य आदि अस्थायी प्रकृति के पदों की नियुक्तियां की जाती हैं। इन पदों के लिये सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था हेतु कोई नया पद न सृजित किया जाये। सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था सरप्लस स्टाफ से अथवा आउटसोर्सिंग से की जाए।
6. प्रदेश के वर्ष 2020-21 के बजट के विभिन्न मदों में यथा - कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, स्थानान्तरण यात्रा व्यय, अवकाश यात्रा सुविधा, कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय, मुद्रण एवं प्रकाशन, विज्ञापन एवं प्रसार तथा वर्दी व्यय में विभागों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त मदों में बजट में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष विभागों द्वारा व्यय में 25 प्रतिशत की कमी की जाय। इन सभी मदों में किसी भी दशा में पुनर्विनियोग से धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।
7. विभागों द्वारा नये वाहनों का क्रय नहीं किया जाय। पूर्व से विद्यमान जो वाहन निष्प्रयोज्य हो रहे हैं, उनके स्थान पर न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन किया जाये तथा आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन अनुबंधित किया जाय। इसके अतिरिक्त सरकारी वाहनों के अनुरक्षण एवं ईंधन पर होने वाले व्यय पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा सभी स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहनों एवं ईंधन का दुरुपयोग न हो। इस मद में बजट आवंटन के सापेक्ष व्यय में कमी लायी जाय।
8. शासकीय कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राओं को आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्यों की पूर्ति हेतु न्यूनतम रखा जाये तथा यथा संभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित की जाय। जो अधिकारी हवाई यात्रा के लिये अधिकृत हैं, वह इकानॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में एकजीक्यूटिव /विजनेस क्लास में यात्रा पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी।
9. सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाओं के आयोजन हेतु शासकीय भवनों/परिसर का ही उपयोग किया जाए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी भी दशा में ऐसे आयोजन होटल आदि में नहीं किये जायें।

उपर्युक्त समस्त निर्देश सरकारी विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ समस्त स्थानीय निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/प्राधिकरणों तथा राज्य विश्वविद्यालयों पर भी समान रूप से लागू होंगे। कृपया तदनुसार अपने अधीनस्थ संस्थाओं को अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में समय-समय पर पूर्व में निर्गत शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 6/2020/बी-1- 218(1) /दस-2020-231/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- (2) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) महालेखाकार-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (5) समस्त कोषाधिकारी।
- (6) समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी।
- (7) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।